शीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए

स्टेट बनाम आसूराम

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी

03/06

पत्रावली पेश हुई। वकुलायन फरीकेन उपस्थित। राजपेरोकार उपस्थित। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 14, 15 व 31 उपस्थित।

प्रार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 14 ता 15 मनफूल वगै. द्वारा जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी पेश किया गया जिसमें वर्णित कथन इस प्रकार है कि उक्त अनवानी मुकदमा स्टेट द्वारा जरिये तहसीलदार आसूराम वगै, के विरुद्ध न्यायालयवाला में प्रस्तुत किया गया है। इस मुकदमें का आधार रिपोर्ट पटवारी को बनाया गया है। पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार वादगत भूमि बाबत ग्राम शरहकजाणी प.म. रिडमलसर पुरो. के खसरा नंबर 117, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 168, 169, 170 कुल किता 13 तादादी 13.47 हैक्टेयर भूमि बाबत यह मुकदमा प्रस्तुत किया गया है। पटवारी रिपोर्ट के मुताबिक उक्त भूमि के खसरा नंबर 169 रकबा 2.60 है. व खसरा नंबर 170 रकबा 1.26 है. भूमि में से लगभग 0.5058 हैक्टयर भूमि पर मौके पर सड़के, चारदिवारी प्लाट मकान कॉलोनी बनी है। परंतु श्रीमानजी पटवारी रिपोर्ट अनुसार सम्पूर्ण भूमि पर किसी प्रकार से कॉलोनी, चारदिवारी, मकान या बिना सम्परिवर्तन की कार्यवाही किए गैर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। प्रार्थीगण वादगत भूमि पर 3/10–3/10 हिस्से के साथ रिकॉर्डेड सहखातेदार दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा अपने हिस्से व कब्जे की भूमि पर ताराबंदी की हुई है तथा मौके पर प्रार्थीगण की फसल भी काश्त की हुई खड़ी है। वादगत भूमि बाबत माननीय न्यायालय में खाता विभाजन हेतु वाद भी कई वर्षों से विचाराधीन है जिसका मुकदमा नंबर 2013/00029 अनवान मनफूल बनाम भंवरलाल लंबित है। जिसमें प्रार्थीगण द्वारा खाता विभाजन चाहा गया है अतः प्रार्थीगण द्वारा लंबे समय से अपने हिस्से की भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है तथा प्रार्थीगण अपने हिस्से की कृषि भूमि पर खाता विभाजन करवाना चाहता है जिस हेतु वाद विचाराधीन है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट से यह स्पष्ट साबित हो रहा है कि प्रार्थीगण द्वारा अपनी कृषि भूमि पर कोई अकृषि कार्य नहीं किया गया है उस स्थिति में प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि की हद तक धारा

सहायक कलक्टर
बीकानेर शहर

175, 177 आर.टी. एक्ट की कार्यवाही ड्राप की जायें तथा माननीय न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश के कारण प्रार्थीगण कृषि भूमि के सम्बन्ध में ना ही केसीसी ऋण सुविधा प्राप्त कर पा रही है और न ही राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर जारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हैं जिसके कारण प्रार्थीगण को अकारण ही क्षति कारित हो रही है। अतः सरकार की ओर से उक्त अनवानी प्रकरण में 175–177 आरटीए की कार्यवाही निरस्त फरमायी जावे ताकि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत खाता विभाजन हेतु वाद का निरतारण किया जा सके व प्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि का खाता विभाजन करवा कर अपनी भूमि पर राज्य सरकार की ओर से जारी योजनाओ का लाभ प्राप्त कर सके व अपनी भूमि पर सुधार कार्य करवा सके। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान जी से सादर निवेदन है कि उपरोक्त अनवान शीर्षक दावा/अस्थाई निषेधाज्ञा पत्रावली को न्यायहित व लोकहित में निरस्त किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करे ताकि प्रार्थीगण अपनी उपरोक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में खाता विभाजन करवा कर सके।

उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष को सुना गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी। अभिभाषक प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 14 व 15 द्वारा यह कथन किया गया कि वर्तमान में वादगत भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण द्वारा अपने हिस्से व कब्जे की भूमि पर ताराबंदी की हुई है तथा मौके पर प्रार्थीगण की फसल भी काश्त की हुई खड़ी है। वादगत भूमि बाबत माननीय न्यायालय में खाता विभाजन हेतु वाद भी कई वर्षो से विचाराधीन है जिसका मुकदमा नंबर 2013/00029 अनवान मनफूल बनाम भंवरलाल लंबित है। जिसमें प्रार्थीगण द्वारा खाता विभाजन चाहा गया है अतः प्रार्थीगण द्वारा लंबे समय से अपने हिस्से की भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है तथा पत्रावली को न्यायहित व लोकहित में निरस्त किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करे ताकि प्रार्थीगण अपनी उपरोक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में खाता विभाजन करवा कर सके।

इसके साथ ही अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 31 द्वारा भी प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी पर बहस करते हुए कथन किया गया कि प्रार्थीया वादगत भूमि पर 71/1347 हिस्से के साथ रिकॉर्डेड खातेदार है व प्रार्थीया के कब्जे काश्त की भूमि पर किसी प्रकार का गैर–कृषि कार्य नहीं किया जा रहा हैं प्रार्थीया भी अपने हक व हिस्से कब्जे काश्त की भूमि अनुसार खाता विभाजन करवाना चाहती है अतः श्रीमान पत्रावली को न्यायहित व लोकहित में निरस्त किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करे

सहायक कलक्टर

हमारे द्वारा उक्त धारा 151 सीपीसी के प्रावधानों के संदर्भ में प्रार्थना पत्र/वादपत्र के अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार अभिलेखिय स्थिति इस प्रकार है कि यह वादपत्र/प्रार्थना पत्र राज्य पक्ष स्टेट की ओर से जरिये तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध पटवारी हल्का रिडमलसर पुरो. की रिपोर्ट को आधार मानते हुए वादगत भूमि पर बिना भू–रूपांतरण कृषि से अकृषि (90 ए) करवाए बिना मौके पर आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग में लेने बाबत दिनांक 06.01.2023 को प्रस्तुत किया गया था। जिसमें वर्णित तथ्य यह कि वादगत भूमि बाबत ग्राम शरहकजाणी प.म. रिडमलसर पुरो. के खसरा नंबर 117, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 168, 169, 170 कुल किता 13 तादादी 13.47 हैक्टेयर भूमि बाबत यह मुकदमा प्रस्तुत किया गया है तथा पटवारी रिपोर्ट के मुताबिक उक्त भूमि के खसरा नंबर 169 रकबा 2.60 है. व खसरा नंबर 170 रकबा 1.26 है. भूमि में से लगभग 0.5058 हैक्टयर भूमि पर मौके पर सड़के, चारदिवारी प्लाट मकान कॉलोनी बनी है।

इस प्रकार राज्य पक्ष स्टेट की ओर से जरिये तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर द्वारा द्वारा यह प्रार्थना पत्र 175–177 आरटीए के तहत पटवार हल्का की रिपोर्ट को आधार मानते हुए बिना अनुज्ञा, भूमि का रूपांतरण कराए बिना कृषि भूमि को गैर–कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग लेने बाबत प्रस्तुत किया है जबकि पटवार हल्का रिडमलसर की रिपोर्ट में वादगत भूमि के खसरा नंबर 169 रकबा 2.60 है. व खसरा नंबर 170 रकबा 1.26 है. भूमि में से लगभग 0.5058 हैक्टयर भूमि पर मौके पर सड़के, चारदिवारी प्लाट मकान कॉलोनी बनी हुई बतायी गयी है जबकि शेष भूमि पर किसी प्रकार के गैर–कृषि कार्य किए जाने का उल्लेख नहीं किया गया है इसके साथ ही प्रतिवादी पक्ष द्वारा अपनी हिस्से–कब्जे काश्त की भूमि बाबत खाता विभाजन करवाने हेतु वाद इसी न्यायालय में लंबे समय से विचाराधीन रहा है। प्रार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 14, 15 व 31 अपने हिस्से की प्रश्नगत भूमि बाबत खाता विभाजन करवाना चाहते है जब तक प्रकरण में 177 आरटीए के तहत कार्यवाही विचाराधीन होती है तब तक खाता विभाजन की कार्यवाही नहीं की जा सकती। धारा 177 का उद्देश्य काश्तकार को बेदखल करना नहीं अपितु बिना भूमि संपरिवर्तन करवाए एवं राजस्व जमा करवाए कृषि भूमि पर अकृषि कार्य को रोकना है। हस्तगत प्रकरण में मताबिक तहसीलदार रिपोर्ट

अधिकांश भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है, केवल 0.5058 हैक्टयर भूमि पर गैर–कृषि कार्य का उल्लेख है। प्रकरण में भूमि के कई सह–खातेदार है। किसी एक सह–खातेदार के कृत्य का दण्ड अन्य सह–खातेदारों को दिया जाना न्यायोचित्त नहीं है। प्रतिवादी संख्या 14, 15, 31 द्वारा अपने हिस्से की भूमि का विभाजन चाहा है जिसके प्रतिवादीगण अधिकारी है अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर 175–177 आरटीए की कार्यवाही इस निर्देश के साथ खारिज की जाती है कि बाद खाता विभाजन राज्य पक्ष समुचित जांच उपरांत केवल संबंधित पक्षकार जिसके द्वारा अपने हिस्से पर गैर–कृषि कार्य किया है व यदि उसके द्वारा 90 दिवस की अवधि में नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर सक्षम प्राधिकारी से सम्परिवर्तन नहीं करवाया जाता तो इस स्थिति में उसके विरुद्ध 175–177 आरटीए के तहत कार्यवाही पुनः संस्थित करे।

जहां तक भविष्य में बिना अनुज्ञा वादगत भूमि पर गैर कृषि उपयोग का प्रश्न है राज्य पक्ष इस संबंध में काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तक्मील दाखिल दफ्तर हो। आदेश की प्रति तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर को प्रेषित की जावे। निर्णय आज दिनांक 05/12/26 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
शहर, बीकानेर

सहायक कलक्टर
बीकानेर शहर